58

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश कैम्प रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 1612-II-15

Rs. 20/-

160
29.5.15

§1§ अक्षय कुमार गौतम आ० स्व० श्री सुन्दरलाल गौतम । उम्र 50 वर्ष ।

§2§ नित्यानंद गौतम आ० स्व० श्री सुन्दरलाल गौतम उम्र 49 वर्ष ।

§3§ सावित्री त्रिपाठी पुत्री स्व० श्री सुन्दरलाल गौतम उम्र 55 वर्ष ।

सभी निवासी मौजा कल्हौरा तह० मझगवां जिला सतना म० प्र०, -निगराकार गण

बनाम

---

§1§ धर्मेन्द्र त्रिपाठी आ० श्री मेदनी प्रसाद त्रिपाठी निवासी कोठी तह०

रघुराज नगर जिला सतना म० प्र०, -- गैर निगराकार

श्री कुन्देश्वर शुक्ला
द्वारा आज दिनांक 29-5-15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

8-6-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० राजस्व संहिता ।

निगरानी बिरूद्ध, आदेश दि० 11.3.015 पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, अपर कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा जरिये प्रकरण क्र० /अपील/13-014,

---

मान्यवर,

निगरानीकर्ता
द्वारा अधिवक्ता
कुन्देश्वर शुक्ला

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

1:- यह कि गैर निगराकार ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराज नगर जिला सतना म० प्र०, के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.8.014, मामला क्रमांक 13/अपील/2013-014 के बिरूद्ध, इन तथ्यों पर अपील पेश किया कि निगराकार गण ने तहसीलदार, तहसील रघुराज नगर के प्रकरण क्रमांक 163अ6/012-13, पारित आदेश दिनांक 9.9.013, के आधार पर गैर निगराकार ने आदेश प्राप्त

/2/

15.9.15

1- प्रकरण प्रस्तुत।

2. आवेदक अभिभावक श्री अक्षय कुमार गौतम के आवेदन पर प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।

3. आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक - /अपील/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.3.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा अधी॰ न्याया॰ के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि रस्पा॰ द्वारा प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किया जावे। अधी॰ न्याया॰ ने प्रश्नाधीन में यह निराकृत किया कि प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय आवेदक द्वारा जिन बिन्दुओं को उठाया गया है, का निराकरण किया जावेगा।

4- मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निवेदन किया गया है। जिन बिन्दुओं को प्रकरण के अंतिम निराकरण के पूर्व उठाया गया है. पहले आपत्ति का निराकरण किया जाना चाहिये तत्पश्चात अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिये। ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

(Continued)...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1612-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में परीक्षण उपरांत यह पाया जाता है कि अधी. न्याया. अपर कमिश्नर रीवा द्वारा दिनांक 27.3.15 को प्रकरण को केवल स्थगित किया गया है एवं आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि श्री अक्षय कुमार गौतम (इस न्यायालय में निगरानीकर्ता) द्वारा उनके समक्ष उठायी गयी आपत्ति आवेदन के बिन्दुओं का निराकरण प्रकरण में अंतिम निराकरण के समय किया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा प्रकरण के तथा निगरानीकार की आपत्ति के आवेदन के सभी बिन्दुओं के विधिवत निराकरण के लिये तैयार है। निगरानीकार के पास अपर आयुक्त रीवा के समक्ष पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है एवं वर्तमान स्थिति में उनके कोई वाजिब हित अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11.3.15 के द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। अतः निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा अपने न्यायालय के प्रकरण में कार्यवाही निरंतर रखें। 2- प्रकरण दर्ज होकर दा. द. हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	